ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(1): 390-394
www.allresearchjournal.com
Received: 21-11-2015
Accepted: 25-12-2015

डॉ. सर्वजीत दुबे
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत,
मामा बालेश्वर दयाल
राजकीय महाविद्यालय,
कुशलगढ़, बांसवाड़ा,
राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. सर्वजीत दुबे
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत,
मामा बालेश्वर दयाल
राजकीय महाविद्यालय,
कुशलगढ़, बांसवाड़ा,
राजस्थान, भारत

संस्कृत की संवैधानिक स्थिति

डॉ. सर्वजीत दुबे

सारांश
हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा पर आधारित है। हमारे सामाजिक अनुष्ठानों और संस्कार की भाषा के रूप में यह आज भी जीवित है। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा सबसे सशक्त माध्यम है। ऐसे में विराट विचारों और उदात्त भावों को देने वाली संस्कृत भाषा के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, हमें अवश्य जानना चाहिए। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसे में भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाली संस्कृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन करना जरूरी है। लेकिन संरक्षण और संवर्धन के लिए संविधान में दी गई शक्तियों का ज्ञान होना जरूरी है। इस दिशा में यह शोध लेख एक विनम्र प्रयास है।

कूटशब्द: संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, शिक्षा-नीति, अनुसूची

प्रस्तावना
सन् 1815 में जब जर्मनी स्वतंत्र हुआ था तो बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि एक वर्ष के भीतर सभी राज कर्मचारी अपना-अपना कार्य जर्मन भाषा में करने लगेंगे, अन्यथा उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार इजराइल की हिब्रू भाषा 2000 वर्ष से आज के संस्कृत की तरह न बोलचाल की भाषा रह गई थी, न शिक्षा की, न शासन की। जब इजरायल स्वतंत्र राष्ट्र बना तो यहूदियों ने अपनी मृत भाषा को पुनर्जीवित किया और देखते देखते वह वहां की राजभाषा बन गई। अतः राजगोपालाचारी ने एक बार कहा था-No language ever dies. What dies is really one's capacity to learn and weild a language, not the language. [1]
उपर्युक्त इस कथन के आलोक में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपनी भाषा व संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रावधान किए हैं और उन्हें किस हद तक क्रियान्वित किया जा रहा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अवसर का उपयोग हर देश अपनी समृद्धि व गौरव बढ़ाने के लिए कर रहा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29 में कहा गया है-

"भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी वर्ग को, जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।" [2]

इस दृष्टि से संस्कृत एक वर्ग की भाषा है। आज भी देश में ऐसे अनेक परिवार एवं संस्थाएं हैं,जहां समस्त वाग्व्यापार संस्कृत माध्यम से होता है। विशेष अनुष्ठानों एवं अवसरों पर आज भी संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों से भरी हैं तथा आज भी वे भाषाएं संस्कृत से पदावली ग्रहण कर रही हैं। अनेक शासकीय उपक्रमों के आदर्श वाक्य संस्कृत में है। अतः संस्कृत भारत के एक अति विशाल वर्ग की भाषा है तथा उस वर्ग को इसका संरक्षण-संवर्धन करने का पूरा अधिकार है।

इसी प्रकार अनुच्छेद 19 (5) कहता है कि "सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा।"[3] विचार एवं अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा के अभाव में मनुष्य न तो चिंतन कर सकता है और न ही अपने विचारों का संप्रेषण कर सकता है। भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल में है। विचार एवं अभिव्यक्ति के अनेक क्षेत्र हैं। भारत में ज्ञान-विज्ञान,सामाजिक, राजनीतिक,धार्मिक आदि विचारों की अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा में हुई है और आज भी हो रही है। सामाजिक अनुष्ठानों एवं क्रियाओं में संस्कारों के संपादन का मौलिक साधन संस्कृत ही है।

इन दोनों अधिकारों का उपयोग यदि संस्कृत प्रेमी करें, विशेषकर संस्कृत के संरक्षण-संवर्धन के लिए तो शासन उनके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। यह सुविधा सिर्फ भारतीय नागरिकों की भाषा के लिए हैं,अन्य विदेशी लोगों के लिए नहीं। यह एक विशेष लाभ है कि वैश्वीकरण के इस दौर में आप अपने देश भारत में हो तो इन दो अधिकारों का उपयोग कर अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हां,इतना अवश्य है कि शासन को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते।

एक प्रश्न है यहां स्वाभाविक रूप में उभर कर आता है कि क्या संस्कृत भाषा का संरक्षण-संवर्धन करना शासन का वैधानिक कर्तव्य है?

इस संबंध में गौर करने की बात है कि अनुच्छेद 351 में कहा गया है-" संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे,जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत:संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।" [4]

हम जानते हैं कि संस्कृत शब्द-संपदा और अर्थ-संपदा दोनों ही दृष्टियों से हिंदी का पोषण कर सकती है। संस्कृत संरचना की विशेषता यह है कि धातु में उपसर्ग एवं प्रत्यय के योग से अनेक पदों का निर्माण किया जा सकता है। द्वितीयत: संस्कृत वांग्मय अत्यंत व्यापक है। इसमें विविध शास्त्र अतीव विकसित रूप से विद्यमान हैं। अतः शब्द भंडार की विपुलता अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की शुद्धता एवं परिपक्वता के कारण संस्कृत वांग्मय हिंदी को प्रतिष्ठा प्रदान कर सकती है। अतः हिंदी विषयक संवैधानिक निर्देश का पालन करने के लिए संस्कृत भाषा एवं उसमें उपलब्ध समस्त वांग्मय का अध्ययन-अध्यापन, अनुसंधान, प्रचार एवं प्रसार करना शासन का कर्तव्य है।

यह कार्य संस्कृत को शिक्षा की मुख्यधारा से अलग रखकर नहीं होगा। शिक्षा की आधुनिक धारा में संस्कृत को व्यापक स्थान देकर विविध प्राचीन एवं आधुनिक शास्त्रों के तुलनात्मक अध्ययन-अनुसंधान की सुविधाएं देकर ही संस्कृत का लाभ हिंदी को पहुंचाया जा सकता है।

अनुच्छेद 351 बाध्यकारी नहीं बल्कि मात्र एक परामर्श है। नागरिक इसके आधार पर शासन को संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। परंतु 1976 से दलवी बनाम तमिलनाडु प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय किया है कि यदि शासन का कोई आदेश उक्त निर्देश का अतिक्रमण करता है तो वह असंवैधानिक माना जाएगा।

इस दृष्टि से ही शासन की कोई नीति अथवा योजना संस्कृत के विकास को अवरुद्ध करेगी तथा उसके माध्यम से हिंदी के विकास को बाधित करे, तो वह भी असंवैधानिक होगी।

जागरूकता अधिकारों की प्रहरी है, अतः जो व्यक्ति या जो वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जितना सजग हो उतना ही अधिकार का उपभोग वह कर सकेगा। अतएव संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते समय यह जानना रोचक होगा कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार से क्या ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान है,जिसके अंतर्गत संस्कृत पढ़ने के लिए नागरिकों को शासन द्वारा बाध्य किया जा सके?

इस प्रश्न का उत्तर है - हां। लेकिन शर्त यह है कि उस संवैधानिक प्रावधान की इस प्रकार व्याख्या की जाए कि वह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ जाए। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि यदि कोई अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रकरण में लिखित नहीं है, किंतु स्वरूपेण मौलिक अधिकारों के तुल्य हैं, तो उसे भी न्यायालय मान्यता प्रदान करेगा।

मौलिक अधिकार की समतुल्यता की दृष्टि से संस्कृत के पक्ष का समर्थन संस्कृत-प्रेमी इस प्रकार से कर सकते हैं कि संस्कृत का भारत में विशेष महत्व है। भारत के समग्र सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन पर संस्कृत का गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव है। संस्कृत की परंपरा क्षीण होने के कारण भारतीय विश्व समुदाय से अपनी महता से वंचित होकर तृतीय विश्व के द्वितीय श्रेणी के नागरिक रह गए हैं। भारतीय अस्मिता की पुनः प्रतिष्ठा हेतु भारतीयों को आत्मगौरव के साथ विश्व में सिर उठाकर खड़े होने के लिए संस्कृत की संपन्न परंपरा का पुनर्जागरण अनिवार्य है। अपनी संस्कृति ज्ञान-विज्ञान एवं कलाओं का संरक्षण-संवर्धन करना एवं अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा के अनुसार जीवनयापन करना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार की प्राप्ति हेतु सब उपाय करने के लिए आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य वचनबद्ध है। अतः संस्कृत पढ़ना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकारों के समतुल्य अधिकार है।

दूसरा इस पक्ष में मील स्तंभ है-अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या। अनुच्छेद 21 कहता है -"राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकता है,अन्यथा नहीं।"[5] इसमें "जीवन" पद की अत्यंत व्यापक व्याख्या उच्च न्यायालय ने 1978 में श्रीमती मेनका गांधी के प्रसिद्ध मामले में की। तदनुसार जीवन का अर्थ मात्र प्राणों का स्पंदन ही नहीं है। जीवन का अभिप्राय है- 'मानवोचित जीवन'अर्थात मानव के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समग्र विकास से संपन्न जीवन। इस व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नागरिकों के सर्वांगीण विकासार्थ अनुकूल परिवेश की सृष्टि करना राज्य का धर्म है, जिसका व्यतिक्रम अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रकार अपनी सभ्यता-संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने, उसके अनुरूप अपना विकास करने के अधिकार के साथ-साथ उस संस्कृति की वाहक संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है।

इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि संस्कृत पढ़ने का अधिकार भारत के नागरिकों का मूल अधिकार है तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन हेतु व्यापक एवं यथोचित उपाय करना शासन का अपरिहार्य कर्तव्य है। आज भारत में प्रायः समस्त शिक्षा-तंत्र प्रत्यक्ष रूप में शासन के अधीन है। तथाकथित निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर भी नाना

प्रकार के नियंत्रण लगाकर शासन ने व्यवस्थापन,पाठ्यक्रम,परीक्षा,मूल्यांकन आदि अनेक पक्षों को परोक्षतः अपने अधीन कर लिया है। पाठ्यक्रम का निर्धारण, विषयों एवं पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण आदि कार्य, परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करना, संस्थाओं को मान्यता देना, न देना आदि सबकुछ शासन के अधीन है। अतः संस्कृत पढ़ने का स्वतंत्र अधिकार पर्यासरूपेण शासन के आदेशों-निर्देशों से संकुचित हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि शासन संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने की उचित व्यवस्था न करे तो नागरिकों का यह अधिकार निरर्थक एवं निष्फल हो जाएगा। अतः शासन को संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने की समुचित व्यवस्था करनी ही चाहिए।

यदि संस्कृत पढ़ने का अधिकार मौलिक अधिकार न माना जाए तो भी संस्कृतानुरागी जनों को अनुच्छेद 14 का संरक्षण उपलब्ध है। अनुच्छेद 14 कहता है कि"राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।" [6] सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मानना है कि समानता का अर्थ समानावस्थापन्न व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार किंतु विषमावस्थापन्न व्यक्तियों में से निर्बलों के प्रति विशेष सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। वैषम्यपूर्ण व्यवहार करने पर शासन को यह सिद्ध करना होगा कि वह विषम व्यवहार किसी तर्कसंगत भेद पर आधारित है।

अनुच्छेद 14 में आया 'विधि' शब्द व्यापक है, जिसमें शासन द्वारा जारी सभी प्रकार के आदेश आ जाते हैं। इसके आलोक में शासन द्वारा समय-समय पर भाषा नीति में किए गए परिवर्तनों, संस्कृत पर उनके कुप्रभावों को हटाने की मांग बढ़ाई जा सकती है।

यह जानना रुचकर होगा कि 1968 में केंद्र सरकार ने जो प्रथम शिक्षा नीति घोषित की उसके अनुच्छेद 3 में संस्कृत की महिमा का वर्णन करके भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प किया गया है। [7] किंतु इसी घोषणापत्र के अनुच्छेद 3(ख) में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात है, जिसके अनुसार हिंदी,अंग्रेजी एवं एक प्रांतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया।

त्रिभाषा सूत्र के कारण माध्यमिक स्तर पर पूर्णरूपेण लुप्त होना ही संस्कृत की नियति होती और अनेक राज्यों में ऐसा ही हुआ। परंतु अनेक कारणों से कुछ राज्यों एवं केंद्र शासन के अधीनस्थ विद्यालयों में यह नीति लागू नहीं हो सकी।

अतः "1986 की नई शिक्षा नीति" में 1968 की नीति के भाषा विषयक प्रस्तावों को निष्ठापूर्वक लागू करने का उद्घोष किया गया। इसी प्रक्रिया में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 1989 में अपनी नई शिक्षा योजना घोषित की। इसके अंतर्गत पूर्व व्यवस्था के विपरीत संस्कृत को पूर्ण विषय के रूप में नहीं रखा गया। अपितु हिंदी अ के साथ 20% भाग संस्कृत को दिया गया तथा पूर्ण विषय के रूप में केवल अतिरिक्त विषय की श्रेणी में इसे रख दिया गया, जिसमें अर्जित अंक छात्र की योग्यता निर्धारण में परिगणित नहीं होते।

यह संस्कृत विरोधी योजना 1990 के सत्र से लागू हुई। इसका एक सद्यःपाती दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन छात्रों ने पहले छठी कक्षा में संस्कृत पढ़ी थी, उन्हें भी सातवीं में संस्कृत के स्थान पर कोई अन्य भाषा पढ़ने को विवश किया जाने लगा। इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गई जिसके परिणामस्वरूप अभी इस संस्कृत विरोधी योजना के विरुद्ध स्थगनादेश मिला हुआ है।

गौर से देखने पर यह स्पष्ट है कि 1968 की योजना में प्रतिपादित त्रिभाषा सूत्र अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। कारण है कि कार्यान्वयन पद्धति नीति के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से 1968 की योजना के अनुच्छेद 3 क,ग,घ, ङ तो नीतिपरक हैं जो क्रमशः मातृभाषा (स्थानीय), हिंदी (संपर्क भाषा), अंग्रेजी (अंतर्राष्ट्रीय भाषा) एवं संस्कृत (भारतीय संस्कृति की भाषा) को पाठ्यक्रम में रखने की बात करते हैं। किंतु अनुच्छेद 3 (ख) त्रिभाषा सूत्र के रूप में संस्कृत का बहिष्कार करता है अथवा उसका महत्व गौण करता है।

अतएव 1968, 1986 की नीतियों के त्रिभाषा सूत्र परक अंश तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 1989 की शिक्षा योजना के भाषा विषयक अंश असंवैधानिक हैं।

इसी प्रकार संविधान की आठवीं अनुसूची में केंद्र की राजभाषाओं की सूची में संस्कृत का भी परिगणन है। इसका अभिप्राय मात्र इतना है कि केंद्र सरकार के कार्य में, उनके साथ पत्रव्यवहार में संस्कृत का प्रयोग विकल्पत: किया जा सकता है तथा संस्कृतानुरागी संस्कृत में लिखे पत्रों का उत्तर संस्कृत में पाने का अधिकारी है।

अनुच्छेद 51 ए (एफ) के अनुसार नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करें। लेकिन जब तक जनजागृति नहीं लाई जाए और लोगों को अपनी संस्कृति, संस्कृत भाषा और संस्कारों के प्रति समझाया-बुझाया नहीं जाए तब तक संस्कृत प्रेमियों को संस्कृत भाषा की ऐसी उपेक्षापूर्ण स्थिति झेलनी पड़ेगी।

वैश्वीकरण के इस जमाने में बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कानून बन रहे हैं और लोग अपनी ज्ञान धरोहर को पेटेंट करा रहे हैं। वैसे समय में अपनी भाषा व संस्कृति के दमखम और एकता को सबके समक्ष लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें हर संस्कृत प्रेमी को अपनी भूमिका तय करनी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजाजी स्पीचेज, भाग 2 पृष्ठ 124
2. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 29
3. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19(5)
4. भारतीय संविधान अनुच्छेद 351
5. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 21
6. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14
7. प्रथम शिक्षा नीति, अनुच्छेद 3